8/9/19 पत्रावली पेश। शीला पवार उप०।
बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को
खारिज किया जाता है कि निर्णय
प्रकरण में लिया जाकर पत्रावली शामिल
किया गया। पत्रावली में मूल पाट के
नम्बर से कम्प्यूटर पत्रावली जमा हो व
नम्बर के शामिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (क्षेत्र-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन, (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
201/2024	22.11.2024	08.09.2025

बउनवान

1. दिशान्त पुत्र सुरेश नाबालिग जर्ये सरपस्त माता खुद निशा देवी पत्नी सुरेश
2. निशा देवी पत्नी सुरेश जातियान मीणा निवासीयान मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– प्रार्थी

बनाम

1. अनिता पत्नी रोशनलाल पुत्री लीलाराम
2. सुनिता पत्नी रोहताश पुत्री लीलाराम
3. राजबाला पत्नी नरेश पुत्री लीलाराम जातियान मीणा निवासीयान निठारी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।
4. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान उपपंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: अप्रार्थीगण

श्री मनोज प्रजापत –: प्रार्थी अधिवक्ता
श्री सीताराम चौधरी –: अप्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि उपरोक्त अनुवान का प्रार्थना पत्र अदालत श्रीमान के समक्ष विस्तृत वाकेयात के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमे मिन प्रार्थीगण को कामयाबी की पूरी पूरी आशा है।
2. यह है कि उपरोक्त अनुवान के प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थीगण ने दस्तावेजात व शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थीगण का केस प्रायमा फैसाई पूर्णत आयद वो साबित है।
3. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 2555/2 रकबा 0.1475 हैक0, 2072 रकबा 1.41 हैकी, का 1/9 भाग वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, जो आराजी उक्त प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न प्रार्थना पत्र है।

4. यह है कि आराजी मुतनाजा लीलाराम पुत्र श्री हजारी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है लीलाराम की फौतगी पर आराजी मुतनाजा की विरासत विधि विरूद्ध दर्ज की गयी है। मृतक दादा व ससुर श्री लीलाराम की फौतगी पर विरासत इंतकाल सं० 4951 विधि के खिलाफ दर्ज व मंजूर किया गया है।

5. यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मीना समुदाय के व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाती समुदाय की श्रेणी में आते है एवं मीना समुदाय के समस्त रितिरिवाज एंव प्रथा के अनुसार जीवन चक चल रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी समस्त मीना रितिरिवाज से समस्त सामाजिक रस्मे निभा रहे है विवाह एवं अन्य रस्मे मीना (अनुसूचित जनजाति) समाज के अनुसार निभा रहे है।

6. यह है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिये सरकार द्वारा प्रावधानित आरक्षण के अर्न्तगत आते है एवं लाभ प्राप्त कर रहे है, इसलिये प्रार्थीगण एवं अप्राथर्थी मीना समुदाय के रूप में सामाजिक व कानूनी रूप से शासित होते है अनुसूचित जनजाति की विधि से शासित है।

7. यह है कि विवादित आराजी मृतक दादा व ससुर श्री लीलाराम मीना के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है, विरासत गलत तरीके से कानूनी प्रावधान के खिलाफ दर्ज की गई है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति पर प्रभावी नही होता है। अनुसूचित जनजाति से शासित समुदाय के लोग सामान्य विधि के अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 सहदायिकी में कोई अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 के नाम विरासत गलत दर्ज किया गया है।

8. यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को छोडकर प्रभावी होने के तथ्य अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा गया है इसलिये उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति की लडकी अपने पिता की सम्पति में पुत्रों के समान अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है।

9. यह है कि आराजी मुतनाजा को अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 विक्रय करने पर उतारू है एवं आराजी को विक्रय करने के लिये अन्य सहखातेदारान से साज बाज करते हुये आराजी का तकासमा प्रार्थीगण की जानकारी के अभाव में एवं गैरमौजूदगी में कराया है विभाजन का इंतकाल सं0 4979 दर्ज कराया है जिसकी प्रार्थीगण को अब जानकारी हुयी जब प्रार्थीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

दिनांक 07/09/2024 को राजस्व रिकोर्ड की नकले लेने के लिये पटवारी हल्का से सम्पर्क किया।

10. यह है कि विभाजन के बाद आराजी मुतनाजा के ख० नं0 2555/2 रकबा 0.1475 कायम कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के हिस्से आया है।
11. यह है कि आराजी मुतनाजा ख० नं0 2072 रकबा 1.41 हैक्, के 1/4 भाग व ख० नं0 2555/2 रकबा 0.1475 हैक्0, वाके ग्राम मुण्डावर में से प्रार्थीगण को 1/3 भाग तरप्रतिवादी सं० 6 व 7 को 2/3 सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकोर्ड से अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 का नाम कलमजन किये जाने व प्रार्थीगण व तरप्रतिवादी सं० 6 व 7 के नाम उपरोक्तानुसार अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।
12. यह है कि अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 अप्रार्थी सं0 4 व 5 आपस में साज बाज हो रहे है और राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज का अमल होने का नाजायज फायदा उठाकर आराजी को दीगर जगह रहन बैय मुन्तकिल करने पर उतारू है और अगर अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गये तो मिन प्रार्थीगण और तरप्रतिवादीगण को अजहद क्षति होगी जिसकी पूर्ती करना नामुमकिन है तथा मिन प्रार्थीगण और तरप्रतिवादीगण के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित है जिनकी रक्षार्थ हेतू मिन प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है इसलिये अप्राथीगण को हु० ई० दवामी के इस अमर से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को दिगर जगह रहन वैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही मिन प्रार्थीगण को बेदखल करे ना ही मिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
13. यह है कि दिनांक 07/09/2024 को मिन प्रार्थीगण अपने हिस्से पर काश्त कार्य कर रहे थे तो अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 दीगर लोगों को लेकर आये और आराजी को दीगर जगह रहन वैय मुन्तकिल करने की धमकी दी और कहा कि हम उक्त आराजी का बेचान करके रहेगें तथा तुम्हे काश्त नहीं करने देगें तथा लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये बस यही तारीक बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा हु० ई० दवामी से पाबंद किया जावे कि उक्त आराजी ख० नं० हाल 2555/2 रकबा 0.1475 हैक्0, 2072 रकबा 1.41 हैक्0, का 1/9 भाग वाके

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है, को अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 विवादित आराजी को दिगर जगह रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही मिन प्रार्थीगण को बेदखल करे ना ही मिन प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एंव उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करे। रिकोर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पाबंद किया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र ओदश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा० दी० व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मिन अप्रार्थी सं० 01 लगायत 03 की ओर से निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह है कि पैरा स० 1 इतना स्वीकार है कि उपरोक्त अनुवानी वाद अदालत श्रीमान में विचाराधीन है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थी को कामयाबी की कोई आशा नही रखनी चाहीए।
2. यह है कि पैरा स० 2 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नहीं हैं प्रार्थी ने नाकाबिल दस्तावेज व झूठा शपथ पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का केस प्रायमा फैसाई आयद वो साबित नही है।
3. यह है कि पैरा स० 3 इतना स्वीकार है कि जिम्मन में वर्णीत आराजी वाके ग्राम मुण्डावर तह० मुण्डावर में स्थित है। बाकी पैरा गलत है, स्वीकार नही है। आराजी किसी भी प्रकार से विवादित नहीं है।
4. यह हे कि पैरा स० 4 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। आराजी से प्रार्थीगण गैर वास्ता व गैर काबिज है तथा इन्तकाल स० 4951 राजस्व कर्मचारियों द्वार सही दर्ज किया गया है।
5. यह है कि पैरा स० 5 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या व मनघंडत तथ्य दज्ज किया है तथा प्रार्थीगण जाति मीणा समुदाय के सदस्य है।
6. यह है कि पैरा स० 6 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. स्वीकार नही है। उक्त जिम्मन दावा से सम्बधित नहीं है। इसलिए जवाब दिया जाना आवश्यक नही है।
7. यह है कि पैरा स० 7 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने जिम्मन हाजा में मिथ्या तथ्य दर्ज किया है. जबकी वास्तविकता तो यह है कि आराजी लीलाराम मीना के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है तथा लीलाराम के फोत होने राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरास्त इन्तकाल नियमानुसार सही दर्ज किया है तथा राजस्थान काश्तकार अधि० सभी जातियों पर लागु होती है तथा वादीगण का किसी भी प्रकार से आराजी में कोई लेना देना नहीं है तथा मिन प्रतिवादीगण मृतक लीलाराम की विधिक वारिसान है।
8. यह है कि पैरा स० 8 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है. राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक लीलाराम की विरास्त इन्तकाल सही दर्ज व

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

मंजूर किया गया है तथा रूढी परमपरागत रूप से इन्तकाल विधि पूर्ण सही दर्ज व मंजूर किया गया है तथा पुत्रों के समान ही पुत्रीयों का भी हक व हिस्सा आराजी में रहता है।

9. यह है कि पैरा स० 9 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। मिन प्रतिवादीगण अपने पिता से जरियें विरासत प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रही है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी का बेचान नही किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉड में दर्ज इन्तकाल की जानकारी प्रार्थीगण को रही है तथा प्रार्थीगण को राजस्व रिकोंड की जानकारी रही है।
10. यह है कि पैरा स० 10 जिस प्रकार बयान किया गया है. नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। आराजी का बंटवारा नही हुआ है।
11. यह है कि पैरा स0 11 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से आराजी में से अपने आपकों खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी नही है।
12. यह है कि पैरा स० 12 जिस प्रकार बयान किया गया है, नितान्त गलत है, स्वीकार नही है। मिन अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से अप्रार्थी स० 4 व 5 से साजबाज नही हो रहे है तथा प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण की आराजी से गैर वास्ता है, इसलिए प्रार्थीगण को कोई नापूर्ती होने वाली क्षति कारित नही होती है, तथा ना ही प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से मिन अप्रार्थीगण को हु० ई० दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है।
13. यह है कि पैरा स0 13 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण ने कथित दिनांक की कहानी मिथ्या व मनघंडत दर्ज की है, जबकी मिन अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी गयी है इसलिए प्रार्थीगण को वाद हेतु कोई बिनायदावी व बिनायमुखारस्मत पैदा नही होती है। प्रार्थीगण वाद बेरून मियाद होकर काबिल खारीज है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

प्रार्थी वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि आराजी मुतनाजा लीलाराम पुत्र श्री हजारी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है लीलाराम की फौतगी पर आराजी मुतनाजा की विरासत विधि विरूद्ध दर्ज की गयी है। मृतक दादा व ससुर श्री लीलाराम की फौतगी पर विरासत इंतकाल सं० 4951 विधि के खिलाफ दर्ज व मंजूर किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मीना समुदाय के व्यक्ति है जो अनुसूचित जनजाती समुदाय की श्रेणी में आते है एवं मीना समुदाय के समस्त रितिरिवाज एंव प्रथा के

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

अनुसार जीवन चक चल रहा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी समस्त मीना रितिरिवाज से समस्त सामाजिक रस्मे निभा रहे है विवाह एवं अन्य रस्मे मीना (अनुसूचित जनजाति) समाज के अनुसार निभा रहे है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के लिये सरकार द्वारा प्रावधानित आरक्षण के अर्न्तगत आते है एवं लाभ प्राप्त कर रहे है, इसलिये प्रार्थीगण एवं अप्राथर्थी मीना समुदाय के रूप में सामाजिक व कानूनी रूप से शारित होते है अनुसूचित जनजाति की विधि से शासित है। विवादित आराजी मृतक दादा व ससुर श्री लीलाराम मीना के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है, विरासत गलत तरीके से कानूनी प्रावधान के खिलाफ दर्ज की गई है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम 1956 अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति पर प्रभावी नही होता है। अनुसूचित जनजाति से शासित समुदाय के लोग सामान्य विधि के अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 सहदायिकी में कोई अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है। अप्रार्थी सं० 1 ल० 3 के नाम विरासत गलत दर्ज किया गया है। यदी विवादित आराजी से स्थगन आदेश निरस्त किये जाते है तो अप्रार्थी विवादित आराजी का बेचान कर देगे। यदी अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी का बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थी को भारी क्षति होने का अन्देशा है। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मूल वाद का अन्तिम निर्णय होने तक पाबन्द किये जाने का श्रम करे।

अप्रार्थीगण वकील ने अपनी बहस के दौरान कथन कहे कि आराजी लीलाराम मीना के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की रही है तथा लीलाराम के फोत होने राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरास्त इन्तकाल नियमानुसार सही दर्ज किया है तथा राजस्थान काश्तकार अधिनियम सभी जातियों पर लागु होती है तथा वादीगण का किसी भी प्रकार से आराजी में कोई लेना देना नहीं है तथा मिन प्रतिवादीगण मृतक लीलाराम की विधिक वारिसान है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मृतक लीलाराम की विरास्त इन्तकाल सही दर्ज व मंजूर किया गया है तथा रूडी परमपरागत रूप से इन्तकाल विधि पूर्ण सही दर्ज व मंजूर किया गया है तथा पुत्रों के समान ही पुत्रीयों का भी हक व हिस्सा आराजी में रहता है। प्रतिवादीगण अपने पिता से जरियें विरास्त प्राप्त आराजी पर काबिज है तथा काश्त कर रही है तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से आराजी का बेचान नही किया जा रहा है तथा प्रार्थीगण को राजस्व रिकॉड में दर्ज इन्तकाल की जानकारी प्रार्थीगण को रही है तथा प्रार्थीगण को राजस्व रिर्कोड की जानकारी रही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगणा को परेशान करने की नियत से, मनगढत, मिथ्या, बनावटी कहानी बनाकर यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

गया है। विवादित आराजी में प्रार्थी खातेदार दर्ज है। विभिन्न माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये है कि किसी खातेदार काश्तकार को किसी विशेष परिस्थितियो में ही स्थगन आदेश से पाबन्द किया जा सकता है। प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र, दस्तावेजात व साक्ष्य से यह साबित नही कर पाया कि किस विशेष परिस्थितियो के कारण अप्रार्थी को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जावें। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को स्थगन आदेश से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है।

पत्रावली, पत्रावली में सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करने पर प्रार्थना पत्र का विवेचन इस प्रकार है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व हिन्दु उत्ताधिकार अधिनियम 1956 में किसी विशेष जाति/जनजाति पर लागू नही होता है। उक्त अधिनियम में समस्त जाति/जनजाति को समान अधिकार प्राप्त हुये है। अप्रार्थीगण विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार दर्ज रिकोर्ड है। राजस्व रिकोर्ड में दर्ज खातेदार काश्तकार को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को किस प्रकार क्षति पहुचा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति अप्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय अस्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र को अस्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं आराजी खसरा नम्बर 2555/2/0.1475, 2072/1.14 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0 पर जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0